2025/25

सेवामें,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
उपखण्ड ....नावां.... जिला ...डीडवाना कुचामन...
विषयः– राजस्व रेकर्ड दुरस्ती बाबत् अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 ।
द्वारा:– पटवारी पटवार हल्का ......मुण्डगासोई......
महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व रेकार्ड में अशुद्ध हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है –

भूमि का विवरण	जमाबंदी में प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि को अन्डरलाईन करें)	की जाने वाली शुद्ध प्रविष्टि का विवरण
1	2	3
पटवार हल्का मुण्डगासोई राजस्व ग्राम पिपराली खाता संख्या 48 खसरा संख्या 920/645 रकबा हेक्टेयर मे 1.96 है.	छगना पुत्र जैसाराम जाति ब्राह्मण सा. पिपराली	छीगनाराम पुत्र जैसाराम जाति जाट साकिन-पिपराली

संलग्न दस्तावेज (सलंग्न दस्तावेज पर टिक का निशान लगाए) –

1. अशुद्धि होने से तुरन्त पहले की जमाबंदी/नक्शा
2. ✓ अशुद्धि के बाद की वर्तमान जमाबंदी/~~नक्शा~~ मिलान सेजफल, संवत 2041-2044 की जमाबंदी
3. ✓ प्रभावित नामान्तरण की सत्यप्रति
4. हिस्से संबंधी अशुद्धि होने पर मजमे आम में हल्का पटवारी द्वारा तैयार सजरा / वंशावली
5. प्रार्थी द्वारा वंशावली के संबंध में शपथ पत्र।

छगन लाल
हस्ताक्षर आवेदक

कुल संलग्नक संख्याः– ....04....

हल्का पटवारी व भू.अ.नि. की टिप्पणी मय स्पष्ट अनुशंशा (सपोर्टेड दस्तावेजों की जांच उपरांत):– श्रीमानजी प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेज की जांच करने पर पाया कि नामा० संख्या 280 दि.नं. 153 नये 31.10.1977 के खसरा नं. 920/645 मे छगना पुत्र जैसा की जाति जाट दर्ज है परन्तु उक्त नामांतरकरण के बाद बनने वाली जमाबंदी संवत 2041 से 2044 मे छगना पुत्र जैसा की जाति का अंकन नही हुआ जिसे किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर पटवारी [signature] 10.01.2025 मुण्डगासोई

भू.अ.निरीक्षक [signature] /1/25

तहसीलदार की टिप्पणी :- ILR कुचेरा रिपोर्ट ILR कुणावांत पटवारी मुण्डगासोई के अनुसार शुद्धि किया जाना उचित है। [signature] 15.1.25

हस्ताक्षर तहसीलदार
तहसीलदार नावां

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी ......नावां...... जिला ...डीडवाना कुचामन...

दिनांकः– 16/01/2025

कमांक/राजस्व/धारा 136/2025/14

आदेश

प्रार्थी ...छीगनाराम... निवासी ...पिपराली... के आवेदन तथा हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार ...नावां... की रिपोर्ट संलग्न दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रेकर्ड मे हुई अशुद्धि को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उपरोक्त आवेदन पत्र के सारणी के बिन्दु सं. 3 में अंकित प्रविष्टि अनुसार शुद्धि की कार्यवाही कर तहसीलदार ...नावां... राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

[signature] 16/01/25
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)

दिनांकः– 16/01/2025

कमांक/राजस्व/धारा 136/2025/14 प्रेषित–
प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. तहसीलदार ......नावां...... को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
2. हल्का पटवारी ......मुण्डगासोई...... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।
3. प्रार्थी / आवेदक ......छीगनाराम...... को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)